

राजस्थान सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक: निसंशि / भर्ती अनुभाग / अध्यापक / लेवल-II / 2017-18 / 11798

दिनांक: 20/05/2019

आदेश

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा जारी विज्ञापन संख्या-2/2017-18 दिनांक 05.02.2018 एवं संशोधित विज्ञापन दिनांक 06.02.2018 के तहत अध्यापक लेवल द्वितीय (कक्षा 6-8) गणित- विज्ञान, अंग्रेजी (नॉन टीएसपी/टीएसपी) ग्रेड गा सीधी भर्ती 2017 हेतु प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों के आधार पर आरटेट/रीट के प्राप्ताक प्रतिशत का 70% एवं स्नातक के प्राप्ताक प्रतिशत का 30% के आधार पर अध्यापक लेवल द्वितीय (गणित-विज्ञान) नॉन टीएसपी पद हेतु वरीयता निर्मित कर प्रोविजनल सूची के आधार पर दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही उपरान्त पात्र पाये जाने पर वरीयतानुसार चयन किए जाने के कलस्वरूप चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्कृत विद्यालय में किया जाकर कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष के परिवीक्षा काल पर निम्न शर्तों के अधीन अस्थाई नियुक्ति प्रदान की जाती है।

- वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.14(1) वित्त(नियम)/2013 दिनांक 30.10.2017 एवं क्रमांक एफ.15(1) वित्त(नियम)/2017 दिनांक 09.12.2017 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा(पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसरण में अभ्यर्थी को दो वर्ष का परीवीक्षकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् लेवल-10 में रूपये 33800/- न्यूनतम वेतन एवं उसके साथ नियमानुसार भत्ते देय होंगे।
- राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 के नियम 16 के अनुसूची (iv) के अनुसार परीवीक्षकाल में नियत पारिश्रमिक रूपये 23700/- प्रतिमाह देय होंगे।
- राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक पं.13(1)वित्त/नियम/03दिनांक 02.08.2005 द्वारा जारी राजस्थान सिविल सेवा(अशादायी पेशन) नियम, 2005 के प्राक्षणान लागू होंगे।
- राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 6(4) वित्त(नियम)/99 दिनांक 14.01.2004 द्वारा संशोधित विकित्सा सेवा नियम लागू होंगे।
- राज्य सरकार के आदेशांक एफ 11(1) वित्त(गुप्त-2)/93 दिनांक 14.01.2004 द्वारा जारी संशोधित भवन ऋण नियम लागू होंगे।
- राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक पं.7(1) कार्मिक/क-2/95 दिनांक 08.04.2003 द्वारा जारी सन्तान संबंधी प्रावधान लागू होंगे।
- प्रथम पदस्थापन स्थान से तीन वर्ष तक अन्यत्र स्थानान्तरण पर प्रतिबंध रहेगा।

| S. No. | Merit No. | Application No | Candidate Name | Father Name | DOB | Category | Selection Category | Marital Status | 70 % of REET | 30% Of Graduation | Total percentage | Home District | School | PS | District | |
|--------|-----------|----------------|--------------------|--------------------|------------|----------|--------------------|----------------|--------------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|-------------|
| 1 | 33 | 201801006417 | NARENDRA PAL SINGH | KANHI RAM | 11/9/1994 | M | OBC-NON CREAMY | General | Single | 57.4 | 21.58 | 78.98 | CHURU | रा.प्रवे.सं.वि. बप्पी की ढाणी, खीरवा | बाप | जोधपुर |
| 2 | 173 | 201801066108 | SANJANA TANEJA | ASHOK KUMAR TANEJA | 17/10/1988 | F | GENERAL | General | Married | 55.07 | 21.21 | 76.28 | SHRI GANGANAGAR | रा.वरि.उपा.सं.वि. शेखसर बास खोड़ाला | लूनकरण सर | दीकानेर |
| 3 | 386 | 201801010313 | AKASH KUMAR MEENA | MATHURA PRASAD | 5/6/1991 | M | S.T | S.T | Single | 51.08 | 14.69 | 66.49 | DHOLPUR | रा.उ.प्रा.सं.वि. पीराना | झंगला | वित्तौड़गढ़ |

नोट:- 1. अभ्यर्थी सर्वप्रथम संकुल केन्द्र पर उपरिस्थित होकर कार्यारम्भ प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। संबंधित संकुल प्रभारी को निर्देशित किया जाता है कि कार्यग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थियों से पद के अनुरूप पात्रता, जन्म तिथि, आयु, शैक्षणिक योग्यता, वर्ग (ब्रेणी) आदि संबंधी नूल प्रमाण पत्रों से जींच कर पूर्ण संतुष्टि के बाद स्वास्त्रप्रति छाया प्रतियों, मुख्य विकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (मूल), सन्तान संबंधी घोषणा पत्र, दहेज संबंधी, धूमपान नहीं करने संबंधी घोषणा पत्र एवं नियमानुसार नियुक्ति हेतु आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर अभ्यर्थी को तत्काल पदस्थापित विद्यालय में कार्यग्रहण हेतु भिजवायेंगे।

2. संबंधित अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व नवीनतम नॉन-क्रीमीलेयर पिछड़ी जाति का पिता की आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3. अभ्यर्थी से पुलिस वरित्र सत्यापन प्राप्त कर कार्यारम्भ करवाये। पुलिस वरित्र सत्यापन के अभाव में 6 माह की अवधि में पुलिस वरित्र सत्यापन प्रस्तुत करने एवं कोई आपराधिक प्रकरण लम्बित न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्यारम्भ करवायें।

4. यदि इस समय कोई अभ्यर्थी किसी विभाग में कार्यरत है तो उस विभाग से नियुक्ति अधिकारी (नियोक्ता) का अनापसि प्रमाण पत्र व कार्यमुक्ति आदेश/त्यागपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु उपरिस्थित होंगे। संबंधित संकुल प्रभारी पूर्व में सेवारत अभ्यर्थियों से उपर्युक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्यारम्भ करावें। नव नियुक्त अध्यापकों में से जो पहले से राज्य सेवा में नियमित कार्मिक के रूप में सेवारत हैं, उन्हें पूर्व पद पर कार्यरत रहते हुये प्राप्त वेतनमान (एलपीसी के आधार पर) अथवा फिक्स न्यूनतम पारिश्रमिक रूपये 23700/- दोनों में जिसे लेने का विकल्प कार्मिक द्वारा प्रस्तुत किया जावे, तदनुसार आहरित करावे।

5. अभ्यर्थी को भारत के संविधान के प्रति सत्य निष्ठा की शपथ निहित प्रारूप में लेनी होगी।

6. राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति के संबंध में समय-समय पर जारी समस्त आदेश इस नियुक्ति पर लागू होंगे।
7. नियुक्ति कार्मिकों को दिनांक 30 मई 2019 तक कार्यग्रहण करना होगा तत्पश्चात् नियुक्ति आदेश रखतः निरस्त माना जायेगा।
8. यह नियुक्ति आदेश प्रशासनिक विभाग के माध्यम से चुनाव आयोग से सक्षम स्त्रीकृति अधिगत कर पत्रांक 1(13)शिक्षा-6/2015 पार्ट दिनांक 13.05.19 के अनुसारण में जारी किये गये हैं।

(एच.एल.अटल)

निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: निसंशि/भर्ती अनुभाग/अध्यापक/लेवल II/2017-18/ 11798

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यदाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान् विशिष्ट शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् शासन संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. श्रीमान् विशिष्ट सहायक, माननीय संस्कृत शिक्षा राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. श्रीमान् मुख्य विकास एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित जिला।
5. संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी जयपुर/जोधपुर/अजमेर/बीकानेर (चूरू)/कोटा/उदयपुर/भरतपुर।
6. संबंधित संकुल प्रभारी (रावरिउपासवि/राप्रवेसवि) को भेजकर लेख है कि अभ्यर्थी के कार्यारम्भ करते ही इसकी सूचना अविलम्ब संभाग एवं निदेशालय में भिजावें।
7. संबंधित संस्थाप्रधान।
8. संबंधित अभ्यर्थी।
9. संस्थापन अनुभाग निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान को व्यक्तिगत पंजिका हेतु।
10. संरक्षण पंजिका।

दिनांक: 20/05/2019

२०१९
संयुक्त निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर